

आदेश फारम सं०
कारवाई के हेतु
की, तारीख
3

आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई
के बारे में टिप्पणी, तारीख
के साथ

2

3

उपायुक्त - सह - जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, राँची
(विधि शाखा)

सी० सी० ए० वाद सं० 23/17-18

राज्य

-बनाम-

धमेद्र यादव

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने अपने पत्रांक 3110/डी०सी०बी० दिनांक 28.12.2017 के माध्यम से कुख्यात अपराधकर्मी धमेद्र यादव पे०- बजरंगी यादव सा० नागाबाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची के विरुद्ध झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम - 2002 (अंगीकृत) के धारा 3 (1) (a), 3 (1) (b) (1) के तहत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया, जिसका आवलोकन किया। इस अपराधकर्मी पर वर्तमान में (1) कोतवाली थाना काण्ड सं० 813/15 दिनांक 03.10.2015, धारा 383/386/120बी० भा० द० वि०, (2) कोतवाली थाना काण्ड सं० 20/17 दिनांक 01.02.17 धारा 386/34 भा० द० वि०, (3) कोतवाली थाना सनहा सं० 54/17 दिनांक 08.12.2017 एवं (4) कोतवाली सनहा सं० 26/17 दिनांक 09.12.2017 दर्ज है। आरोप पत्र समर्पित है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि धमेद्र यादव पे०- बजरंगी यादव सा० नागाबाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची एक सक्रिय अपराधकर्मी है। इनके जेल से छुटने के बाद भी इनके अपराधिक क्रिया - कलाप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिसके आस पास के क्षेत्रों में शान्ति व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित रह रही है। उक्त अंकित काण्ड में ये पूर्व में अपराधिक घटनाओं के कारण जेल में थे जो वर्तमान में जेल से बाहर है। इनके अपराधिक इतिहास के कारण जनता में भय व्याप्त है कि ये फिर से कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे दें जिससे लोक-शान्ति की समस्या उत्पन्न न हो जाये। आसूचना संकलन के क्रम में भी सूचना प्राप्त हुई है कि इनके घरों में भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आम जनता के बीच भय का माहौल बना हुआ है। इस प्रकार आम-जनों के बीच इनका भय कम करने एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए इन पर प्रतिदिन निगरानी रखना आवश्यक है। इसके लिए इनको प्रत्येक दिन थाना पर हाजिरी करा कर निगरानी रखना अति आवश्यक है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में

Ray

आदेश
एवं वेशण शाखा
9 DEC 2017
का नमूना में

केस. का सं० ओर तारिख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के बारे
1	2	

2

झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम - 2002 (अंगीकृत) के धारा 3 (1) (A), 3 (1) (B) (1) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया।

विपक्षी धमेद्र यादव पे०- बजरंगी यादव सा० नागाबाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची के तरफ से इस वाद मे बहस करने हेतु कोई उपस्थित नही हुआ।

अभिलेख के आवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी धमेद्र यादव पे०- बजरंगी यादव सा० नागाबाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची के विरुद्ध दायर कांडो मे अनुसांधनोपरान्त आरोप पत्र समर्पित किया गया है एवं मामला अभी माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है। विपक्षी द्वारा अपने कारण पृच्छा के समर्थन मे कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। दुसरी ओर वरीय पुलिस अधीक्षक के रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेजो से स्पष्ट है कि इनके द्वारा कारित अपराध भा० द० स० के अध्याय XVI एवं XVII की श्रेणी के है जो झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम - 2002 (अंगीकृत) के धारा 2 (क) के तहत इनके असमाजिक तत्व होने का द्योतक है एवं इनके कृत्य से लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति के भंग होने की प्रबल संभवना है।

अतः वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के प्रस्ताव एवं अनुशंसा मे अन्तर्निहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले मे लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित्त अपराधकर्मी धमेद्र यादव, पे०-बजरंगी यादव, सा० नागाबाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम - 2002 (अंगीकृत) के धारा 3 (1) (A), 3 (1) (B) (1) में अंकित प्रावधानो के आलोक मे अपराधकर्मी धमेद्र यादव पे०- बजरंगी यादव सा० नागाबाबा खटाल, थाना कोतवाली, जिला राँची को आदेश प्राप्ति की तिथि से अगले तीन माह की अवधि के लिए संबंधित थाने मे हर तीन दिन पर हाजिर होकर उपस्थिति दर्ज कराये। उक्त आदेश के अनुपालन नही किये जाने पर विपक्षी के विरुद्ध झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम -2002 (अंगीकृत) के धारा 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश की प्रति उपस्थिति दर्ज कराने हेतु संबंधित थाना को वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के माध्यम से अनुपालनार्थ भेजा जाए।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
राँची।

जिला दण्डाधिकारी,
राँची।

12/17

2730
30-12-17

प्रसंग:-
विषय:-